UPKU040289892024

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर ,स्थान–पड़रौना।

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1912/2024

सरकार बनाम विकास कुमार यादव उर्फ अमित कुमार एवं अन्य।

04.09.2024

अभियुक्तगण–**विकास कुमार यादव उर्फ अमित कुमार, मिथिलेश कुमार यादव, नितिश कुमार और संजय कुमार यादव** की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या–147/2024, अन्तर्गत धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–63C, 63D आई०टी० एक्ट, थाना–रविन्द्रनगर धूस, जनपद–कुशीनगर के मामले में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अभियुक्तगण जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वे निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। मनगढन्त कहानी बनाकर फर्जी तरीके से उन्हे अभियुक्तगण बना दिया गया है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत का घोर विरोध करते हुये कथन किया है कि उक्त अभियोग गंभीर तथा अजमानतीय व आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी।

सुना तथा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है तथा उसके विरूद्व आरोपित अपराध आजीवन कारावास तक से दण्डनीय है। जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

सी०जे०एम०,

कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।

Digitally signed by Kavita Singh
Date: 2024.09.06 15:55:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court